

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक :- 24-3-14

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण /कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड-49P471101789580544, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष-2013-14 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत पेरिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय/ 01-बाढ़ नियंत्रण,	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण /कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण,	05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य / 49P471101789580544	84.16

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ चौरासी लाख सोलह हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध रु. 125.00 लाख (एक करोड़ पचीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत /अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त



(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

276

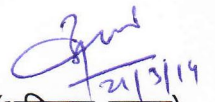
रॉची, दिनांक :-

24-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी

डोरन्डा/रॉची/देवघर/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त



(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

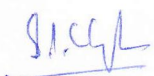
276

रॉची, दिनांक :-

24-3-14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/ योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



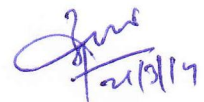
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता



(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)



(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(अविनाश कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक.....276

दिनांक 24-3-19

का अनुलानक

परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,

उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण / कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49P471101789580544

वित्तीय वर्ष 13-14 में बजट उपबंध ₹ 125.00 लाख (एक करोड़ पचीस लाख) मात्र।

राशि लाख ₹ में

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गंगा पंप नहर प्रमंडल साहेबगंज	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँये तट पर नारायणपुर ग्राम के पास लंच किये गये Edge Craining कार्य का पुनर्स्थापन कार्य।	08 / 13-14 / प्र.स्वी., दिनांक - 16.05.2013	10.760	0.00	10.76	0.54	11.30	
2	गंगा पंप नहर प्रमंडल साहेबगंज	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँये तट पर चंडीपुर ग्राम के पास कराये गये कटाव निरोधक कार्य का पुनर्स्थापन कार्य।	09 / 13-14 / प्र.स्वी., दिनांक - 16.05.2013	8.190	0.00	8.19	0.34	8.53	
3	गंगा पंप नहर प्रमंडल साहेबगंज	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँये तट पर शोभापुर ग्राम (Phase-III) के पास कराये कार्य का पुनर्स्थापन कार्य।	10 / 13-14 / प्र.स्वी., दिनांक - 16.05.2013	8.150	0.00	8.15	0.41	8.56	
4	गंगा पंप नहर प्रमंडल साहेबगंज	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँये तट पर सेंट जेवियर स्कूल से धोबीटोली तक कराये गये कटाव निरोधक कार्य का पुनर्स्थापन कार्य	68 / 13-14 / प्र.स्वी., दिनांक - 24.01.2014	31.010	0.00	0.00	10.00	10.00	
5	गंगा पंप नहर प्रमंडल साहेबगंज	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँये तट पर चंडीपुर के पास कटाव निरोधक कार्य	69 / 13-14 / प्र.स्वी., दिनांक - 24.01.2014	38.890	0.00	0.00	12.00	12.00	

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)(अविनाश कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 13-14 में बजट उपबंध ₹ 125.00 लाख (एक करोड़ पचीस लाख) मात्र।

राशि लाख ₹ में

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की			वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन				अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि	मार्च 2013 तक का व्यय	पूर्व का आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल आवंटित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	गंगा पंप नहर प्रमंडल साहेबगंज	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँये तट पर चंडीपुर के पास End Protection कार्य	70 / 13-14 / प्र.स्वी., दिनांक — 24.01.2014	3.870	0.00	0.00	3.87	3.87		
7	गंगा पंप नहर प्रमंडल साहेबगंज	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँये तट पर ग्राम शोभापुर (Phase-II) के कटाव निरोधक कार्य का पुनर्स्थापन कार्य।	71 / 13-14 / प्र.स्वी., दिनांक — 24.01.2014	188.225	0.00	0.00	50.00	50.00		
8	गंगा पंप नहर प्रमंडल साहेबगंज	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँये तट पर नारायणपुर के पास लंच किये गये भाग में Edge Crating का पुनर्स्थापन कार्य।	72 / 13-14 / प्र.स्वी., दिनांक — 24.01.2014	14.320	0.00	0.00	7.00	7.00		
योग						27.10	84.16	111.26			
अतिरिक्त आवंटित राशि — ₹ चौरासी लाख सोलह हजार मात्र।											

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ चौरासी लाख सोलह हजार मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौसरिया)
उप सचिव (अभि.)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(अविनाश कुमार)
सचिव

276
24-3-14